


भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
करनाल—132 001

फा.सं. 1(5)2021—स्था/ 4872-97
दिनांक : 30.01.2021
01-03

संशोधित कार्यालय आदेश

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा का. आदेश न. 1(5) निर्भरता/स्था/2019/770-795 दिनांक 14.5.2019 और 1(5) निर्भरता/स्था/2020/3470-95 दिनांक 23.7.2020 के तहत संस्थान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों, माता-पिता एवं अन्य परिवार के सदस्यों की उनके ऊपर निर्भरता स्वीकृत की गई है। इस सूची के तहत कुछ अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो कर्मचारी उपरोक्त आदेश से पहले भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके संदर्भ में उनके द्वारा सेवानिवृत्त होने से पूर्व जो परिवार के सदस्यों की सूची उन पर निर्भरता की दी गई है वह मान्य रहेगी। अतः आहरण एवं वितरण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बिल का भुगतान करने हेतु एक घोषणा पत्र साथ संलग्न करायें।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।


30/01/2021
(तरुण कुमार)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी